

# कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

क्रमांक:- 3033

दिनांक:- 25/11/24

श्रीमान् उप वन संरक्षक  
झालावाड़

**विषय:- Construction of Sawantkhera to khadagpura road  
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/38372/2019 Date 22.01.2019)  
की अन्तिम स्वीकृति जारी करने बाबत।**

महोदय,


उपरोक्त प्रासंगिक संदर्भित प्रस्ताव में सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम झालावाड़ द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में सांवतखेड़ा से खड़गपुरा सड़क निर्माण हेतु 0.520 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में 0.520 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Construction of Sawantkhera to khadagpura road की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तों की पालना बिन्दुवार विभाग द्वारा की जा चुकी है :

1. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 2 की अनुपालना में उक्त कार्य के लिये प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 3 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
4. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।
5. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में उक्त प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में उक्त प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वन क्षेत्र को क्षति न हो।
7. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में उक्त प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से /पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
8. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 8 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जिला कलेक्टर से संशोधित एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट जारी करवाकर, राज्य सरकार में प्रेषित कर दी गई है। छायाप्रति संलग्न है।
9. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 9 की अनुपालना में वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।

10. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 10 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा राशि 100800/- दिनांक 06.09.2022 द्वारा जमा करा दी गई है। छायाप्रति संलग्न है।
11. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 11 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा करा दी गई है। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधोरुपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा 498046/- रुपये दिनांक 06.09.2022 को जमा करा दी गई है। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी राशि का मदवार विवरण हो) चालान व बिल की छायाप्रति संलग्न है।
12. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 12 की अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जावेगी।
13. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 13 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रमोदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
14. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 14 की अनुपालना में भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरः प्रकाशित करा दी गई है। एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियाँ स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है। उक्त के साथ मूलप्रति संलग्न कर दी गई है।

सा.नि.वि द्वारा उपरोक्त शर्तों की पालना कर दी गयी है। अतः श्रीमान् से निवेदन है, कि उक्त निर्माण हेतु अन्तिम स्वीकृति जारी करने का श्रम करावे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

  
(हुकम चन्द मीना)

अधीक्षणी अभियन्ता  
सा.नि.वि.विभाग खण्ड प्रथम

दिनांक : झालावाड़ (राज.)

29/01/24

क्रमांक : 3033

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :

1. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता (पीएमजीएसवाई) सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सा.नि.वि. संभाग, कोटा।
4. श्रीमान् संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा।
5. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. वृत्त झालावाड़।



अधीक्षणी अभियन्ता  
सा.नि.वि.विभाग खण्ड प्रथम

झालावाड़ (राज.)

कार्यालय अधिषाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़


क्रमांक : 3033

दिनांक : 29/1/24

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- **Construction of Sawantkhera to khadagpura road**  
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/38372/2019 Date 22.01.2019)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

  
(हुकमचन्द मीना)  
अधिषाषी अभियन्ता  
स.नि.वि. खण्ड झालावाड़  
झालावाड़ (राज.)

कार्यालय अधिषाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़


क्रमांक : ९०३३

दिनांक : २१/०१/२०१९

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- **Construction of Sawantkhera to khadagpura road**  
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/38372/2019 Date 22.01.2019)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. २ की अनुपालना में उक्त कार्य के लिये प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।

  
(हुकमचन्द मीना)  
अधिषाषी अभियन्ता  
स.नि.वि.खण्ड झालावाड़  
झालावाड़ (राज.)

कार्यालय अधिषाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़


क्रमांक : 3033

दिनांक : 23/1/24

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Sawantkhera to khadagpura road  
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/38372/2019 Date 22.01.2019)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 3 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।

  
(हुकमचन्द मीना)  
अधिषाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि.भाग खण्ड झालावाड़  
झालावाड़ (राज.)

कार्यालय अधिषाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़


क्रमांक : 3033

दिनांक : 29/11/24

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- **Construction of Sawantkhera to khadagpura road**  
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/38372/2019 Date 22.01.2019)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।



(हुकमचन्द मीना)  
अधिषाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़  
झालावाड़ (राज.)

कार्यालय अधिषाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़


क्रमांक : 3033

दिनांक : 29/11/24

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- **Construction of Sawantkhera to khadagpura road**  
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/38372/2019 Date 22.01.2019)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में उक्त प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।

  
(हुकमचन्द मीना)  
अधिषाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़  
झालावाड़ (राज.)

कार्यालय अधिषाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़


क्रमांक : ३०३३

दिनांक : २७/१/२०१९

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Sawantkhera to khadagpura road  
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/38372/2019 Date 22.01.2019)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में उक्त प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वन क्षेत्र को क्षति न हो।



(हुकमचन्द मीना)  
अधिषाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़  
झालावाड़ (राज.)



कार्यालय अधिषाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़


क्रमांक : 3033

दिनांक : 29/1/24

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Sawantkhera to khadagpura road  
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/38372/2019 Date 22.01.2019)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में उक्त प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से /पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।

  
(हुकमचन्द मीना)  
अधिषाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि.खण्ड झालावाड़  
झालावाड़ (राज.)

कार्यालय अधिषाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़


क्रमांक : 3033

दिनांक : 29/1/24

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Sawantkhera to khadagpura road  
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/38372/2019 Date 22.01.2019)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 8 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जिला कलेक्टर से संशोधित एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट जारी करवाकर, राज्य सरकार में प्रेषित कर दी गई है। छायाप्रति संलग्न हैं।



(हुकमचन्द मीना)  
अधिषाषी अभियन्ता  
संशोधित विभाग झालावाड़  
झालावाड़ (राज.)

कार्यालय अधिषाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़


क्रमांक : 3033

दिनांक : 29/11/24

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- **Construction of Sawantkhera to khadagpura road**  
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/38372/2019 Date 22.01.2019)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 9 की अनुपालना में वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।



(हुकमचन्द मीना)  
अधिषाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि.खण्ड झालावाड़  
झालावाड़ (राज.)

कार्यालय अधिषाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़.


क्रमांक : 3033

दिनांक : 29/11/24

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- **Construction of Sawantkhera to khadagpura road**  
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/38372/2019 Date 22.01.2019)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 10 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा राशि 100800/- दिनांक 06.09.2022 द्वारा जमा करा दी गई है। छायाप्रति संलग्न है।

  
(हुकमचन्द मीना)  
अधिषाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़  
झालावाड़ (राज.)

कार्यालय अधिषाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़


क्रमांक : 3033

दिनांक : २७/१/२४

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- **Construction of Sawantkhera to khadagpura road**  
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/38372/2019 Date 22.01.2019)

1. प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 11 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा करा दी गई है। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधोरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा 498046/- रुपये दिनांक 06.09.2022 को जमा करा दी गई है। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी राशि का मदवार विवरण ) चालान व बिल की छायाप्रति संलग्न है।

  
(हुकमचन्द मीना)  
अधिषाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि.खण्ड झालावाड़  
झालावाड़ (राज.)

कार्यालय अधिषाशी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़


क्रमांक : 3033

दिनांक : 29/1/24

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Sawantkhera to khadagpura road  
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/38372/2019 Date 22.01.2019)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 12 की अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जावेगी।

  
(हुकमचन्द मीना)  
अधिषाशी अभियन्ता  
सा.नि.वि.भखण्ड झालावाड़  
झालावाड़ (राज.)

कार्यालय अधिषाशी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़


क्रमांक : 3033

दिनांक : 29/1/24

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Sawantkhera to khadagpura road  
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/38372/2019 Date 22.01.2019)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 13 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रमोदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।



(हुकमचन्द मीना)  
अधिषाशी अभियन्ता  
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़  
झालावाड़ (राज.)

कार्यालय अधिषाशी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़


क्रमांक : ९०३३

दिनांक : २९/११/२४

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Sawantkhera to khadagpura road  
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/38372/2019 Date 22.01.2019)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 14 की अनुपालना में भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करा दी गई है। एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियाँ स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है। उक्त के साथ मूलप्रति संलग्न कर दी गई है।

  
(हुकमचन्द मीना)  
अधिषाशी अभियन्ता  
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़  
झालावाड़ (राज.)



## GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Public Works Department, Jaipur

Bill No. &amp; Date:

PayManager Ref. Id(s): 3397331

BillRef No.: 252, Dated: 02/09/2022

Division Name: XEN PWD DN. JHALAWAR

Division Code: 16598

## HAND RECEIPT HR Payment (Contingency/Misc)

(Referred to in PWF&amp;A Rules 418, 424, 436 and 438)

(To be used as a simple form of voucher for all miscellaneous payments and advances for which none of the special from 24 and 26 are suitable)

Work: Sawantkhera to Khadagpura

Vendor Name: RAJASTHAN CAM PA

Sanction/Autorization/BillNo: 0 Dated: 01/09/2022

Reason: N/a

Bank AccountNo.- 150856138372123

Bank IFSC Code: UBIN0996335

Total amount payable to the contractor or supplier In Figures: 5,98,846

(In Words):Rupees Five Lakh Ninety Eight Thousand Eight Hundreds Forty Six Only

## Debit Heads / Payment From:

S No.	Head Code	Amount	Remarks
1	5054-04-800-02-01-74-V-P	598846	WorkId: 45739

## Deductions/Recoveries:

S No.	Head Code	Amount	Remarks
-------	-----------	--------	---------

This Bill will break in following part(s) for PayManager (Fisrt column will be RefNo to pull it on PayManager)

Ref No.	Head Code	Amount Cr	Amount Dr	Remarks
3397331	5054-04-800-02-01-74-V-P		598846	WorkId: 45739
	Payment Through Treasury	598846		
	5054-04-800-02-01-74-V-P		77850	Prorata WorkId: 45739
	2059-80-001-04-01-98-V-P	47908		Prorata
	2059-80-052-04-01-98-V-P	11977		Prorata
	3054-03-337-01-03-98-V-P	17965		Prorata

Net Amount Payable In Figures: 5,98,846

Net Amount Payable In Words:Rupees Five Lakh Ninety Eight Thousand Eight Hundreds Forty Six Only

## Certified that :

1. The Work has been done as per Specifications, Contract Agreement & Drawings found satisfactory.
2. The Payment of this bill is not drawn previously.
3. Bank Details of the Contractor/Supplier has been checked & verified.
4. Nothing is outstanding against Contractor regarding this work.
5. All formalities & observations regarding necessary entries are personally examined.
6. No tools & Plants has been issued to the Contractor.
7. Material has been used by Contractor as per Specifications.

३५

For use in Divisional Office  
अधिराषी अभियन्ता  
सा.नि.विभाग खण्ड प्रथम  
झालावाड (राज)  
Signature of DC with seal  
काड नं १६७७६

Signature of CA with seal

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN**  
**Public Works Department, Building & Road Branch**

**HAND RECEIPT** of Rajasthan Campa  
for Rs. 598846 /-

Passed for Rs. 598846 /-  
five lacs ninety eight thousand eight  
hundred forty six only

Cash Book Voucher No.

(1) Pay by.....for  
Cheque  
Cash

(2) Paid by me "PD."

अधिसापी अभियन्ता  
सा०नि०वि० खण्ड  
झालावाड

Received From **The Executive Engineer PWD Division Jhalawar** Rs. 598846 /-

Name of work for which payment is made ..... Construction of Sawantkhera  
do Kadagpura

of pay bill ..... Voucher No. ....

HR entered in M.B. No. 713/2018 on Page no. 98

Verify -  
Vijay  
Azm

(Stamps)

Signature of Payee

For use in the Divisional office

For use in the Accountant General's office

Checked

Auditor

Reviewed

Accounts Clerk, Divisional officer.

Auditor

Supdt.

G.O

The Officer authorizing payment should initial and date the pay order after scoring out word "cheque" or "cash" as the case may be.

The person actually making the payment should initial and date payment certificate (2).

In the case of works the accounts of which are kept by sub-heads the amounts chargeable to each sub-head should be specified by the disbursing officer.

Payment should be attested by some known person when the payee's acknowledgment is give by mark seal or thumb impression.

# कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

क्रमांक : 6652

दिनांक : 17-08-22

निमित्त : अधिशाषी अभियंता

प्रयोक्ता अभिकरण का नाम व पता : सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड झालावाड़

राशि मांग पत्र

1. प्रस्ताव का नाम व क्रमांक : Construction of Sawantkhera to Kadagpura  
File No. : FP/RJ/ROAD/38372/2019
2. सैद्धान्तिक स्वीकृति का विवरण : क्रमांक प. 1 (73) वन/2022 दिनांक 21.07.2022
3. वन्यजीव स्वीकृति का विवरण : -
4. प्रत्यावर्तन होने वाली वनभूमि का विवरण (हे०)

CATEGORY	RESERVED FOREST	PROTECTED FPREST	UNCLASSIFIED FOREST	DEEMED FOREST	OTHERS	TOTAL
Area (ha)	-	0.52	-	-	-	0.52

5. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चिह्नित भूमि का विवरण

Category	Non Forest Land	Degraded Forest Land	Total
Area (ha)	0	0.52	0.52

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव में जारी स्वीकृति की पालना में निम्नानुसार वर्णित राशि जमा कराने की व्यवस्था करावें एवं पालना से अवगत करावें :



स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक	अधिरोपित शर्त विवरण (स्वीकृति में अंकित शर्त का लिखें)	मांग राशि का मद	क्षेत्रफल (हे०)/ संख्या/ मात्रा	दर/ गणना सूत्र (श्रमिक दर 252/-)	राशि	राशि जमा कराये जाने का मद/खाते का विवरण	वि० वि०
1	2	3	4	5	6	7	8
11	एन.पी.वी की राशि	NPV	0.52	957780/- हे०	498046	कैम्पा अकाउंट में ऑनलाईन जमा करवायी जानी है।	
10	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण राशि	C.A.(NFL)					
		C.A.(DFL)	100 वृक्ष	-	100800	कैम्पा अकाउंट में ऑनलाईन जमा करवायी जानी है।	
		Medicinal Plant/dwaft plant	-	-	-	-	
		Penal CA	-	-	-	-	
		Penal NPV	-	-	-	-	
		Safety Zone	-	-	-	-	
		Inner boundary	-	-	-	-	
		Cost of Survey, demarcation and boundary Pillars	-	-	-	-	
		1.5 time Safety Zone DFL	-	-	-	-	
		Cost of tree Cutting	-	-	-	-	
		Muck Disposal	-	-	-	-	
	योग				598846		



Ar (Debnb)  
22/8/22

कार्यालय अधि. अभि. सा नि. वि. खण्ड झालावाड़  
पत्र प्राप्ति नं० .....  
दिनांक .....  
R.C. O.A. D.A.O. T.A. E.E.

(वी. चेतन कुमार IFS)  
उप वन संरक्षक  
झालावाड़

D/SURVEYOR/FCA LETTER 01.08.2020

AGENCY COPY	
 	
NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds	
Date : 31-08-2022	
Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT JHALAWAR
Application No.	6138372123
MoEF/SG File No.	1(73)FOREST/2022
Location.	RAJASTHAN
Address.	EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV. JHALAWAR Jhalawar
Amount(in Rs)	598846/-
Amount in Words :Five Lakh Ninety-Eight Thousand Eight Hundred and Forty-Six Rupees Only	
<b>NEFT/RTGS to be made as per following details;</b>	
Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150856138372123 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003
<ul style="list-style-type: none"> <li>This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only</li> </ul>	


BANK COPY	
 	
NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds	
Date : 31-08-2022	
Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT JHALAWAR
Application No.	6138372123
MoEF/SG File No.	1(73)FOREST/2022
Location.	RAJASTHAN
Address:	EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV. JHALAWAR Jhalawar
Amount(in Rs)	598846/-
Amount in Words :Five Lakh Ninety-Eight Thousand Eight Hundred and Forty-Six Rupees Only	
<b>NEFT/RTGS to be made as per following details;</b>	
Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150856138372123 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003
<ul style="list-style-type: none"> <li>This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only</li> </ul>	

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through  
Email: [helpdeskcampa@corpbank.co.in](mailto:helpdeskcampa@corpbank.co.in)

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to  
Email: [cb0371@unionbankofindia.com](mailto:cb0371@unionbankofindia.com)

# WORKS ACCOUNT MONITORING SYSTEM

Public Works Department, Jaipur  
XEN PWD DN. JHALAWAR



Financial Year: 2  
Version:

Logged in by: audit.16598    Circulars    Manual    Logout  
Reports    Archive (Old Years Data)



Date: 07-Sep-2022

Active Users:199 , Auto Logout after 19:47Minutes

Master    Options    Allocations v/s Expenditures    Treasury Processing    Add New Transaction  
**Treasuey Vocuhers**

Select criteria again

Treasury Vouchers (Criteria: VendorType: Others, Vendor: RAJASTHAN CAM PA ,Bill Created From: 01-09-2022 to 07-09-2022 )											
Sno	RefNo	BillDate	BillNo/GRNNo	BillType	Budget Head	GrossAmt	VendorName	NetAmt	TVNo/ChallanNo	TVDate	When Udpated From PayManager
1.	149496				5054-04-800-02-01-74-V-P	676696	RAJASTHAN CAM PA	598846	30492	06/09/2022	treasury forward

Annexure - I

FORM-I

(For linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector Jhalawar, Rajasthan

TO WHOMSOEVER MAY CONCERN

Date 12-8-2022

No. 552

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF) Government of India's letter no. 11-9/98-FC (pt.) dated 3 August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purpose read with MoEF's letter dated 5 February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.52 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer Public work Department Div Jhalawar for Construction of Sawantkhara to khadagpura road in Jhalawar District falls within jurisdiction of Khadagpura village in Pirawa tehsil.

It is further certified that :

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.52 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure (i) to annexure(X)
- The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pro agricultural communities.

Encl :- As above

Signature

(District Collector & District Magistrate)

Jhalawar

Date 12-8-2022

No. 552

Copy to the Executive Engineer PWD Div. Jhalawar for N/A

(District Collector & District Magistrate)


Jhalawar


जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, झालावाड़ की दिनांक 12.08.2022 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण

अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 की धारा-03(1) व 3(2) के अन्तर्गत दिनांक 12.08.2022 को प्रातः 11.00 बजे जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, झालावाड़ की बैठक जिला कलक्टर महोदया की अध्यक्षता में आहूत की गई, जिसमें संलग्न परिशिष्ट-‘अ’ के अनुसार पदाधिकारियों ने भाग लिया, बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा द्वारा प्रस्तुत प्रकरण Construction of Sawantkhera to khadagpura road तक में कुल वन भूमि में से सड़क निर्माण में 0.52 हेक्टेयर भूमि आती है। वन भूमि के प्रत्यावर्तन (Diversion) हेतु सभी सदस्यों ने प्रकरण का वनाधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अधीन कोई अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है, ना ही वन क्षेत्र में कोई दावा लम्बित है।

अतः निम्नलिखित विवरणानुसार प्रस्तुत निर्माण कार्य में आने वाली वन भूमि को डायवर्जन एवं FRA प्रमाण-पत्र जारी करने की अभिशंषा की जाती है।

क्र. सं.	नाम उप खण्ड	नाम ग्राम	ग्राम पंचायत	खसरा नम्बर	डायवर्जन योग्य क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	किस्म
1	पिड़ावा	खड़गपुरा	सरखेड़ी	398	0.52	
				कुल योग	0.52	

  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
जिला परिषद, झालावाड़


  
उपवन संरक्षक  
झालावाड़

  
जिला कलक्टर  
झालावाड़

क्रमांक: एफ.22 / वनाधिकारी / 2022-23 / 553-58  
प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

दिनांक: 12.08.2022

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदया झालावाड़।
2. उप वन संरक्षक, झालावाड़
3. उप खण्ड अधिकारी, पिड़ावा।
4. अभिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, झालावाड़।
5. रक्षित पत्रावली।

  
सदस्य सचिव  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
पदेन परियोजना अधिकारी (माडा)  
जिला परिषद, झालावाड़



owner of the Innova car in which the victim was travelling to by the remaining 30%

Therefore, though some negligence has occurred on part of driver of Innova Car parking on National Highway, the major negligence and rashness is attributed to the driver of offending vehicle, i.e. Mahindra Pickup," the tribunal said.

The tribunal said that the rash and negligent act of the driver of Mahindra Pickup was responsible for the accident and untimely death of Bhusan Jadhav. In 2017, two insurance companies agreed to pay a compensation of around Rs 3 crore to the 68-year-old father of a pilot who died in a car crash on the Western Express Highway in 2015.

...the remaining 30% votes against his rival candidate Margaret Alva's...

...his long legal career at the Rajasthan High Court and the Supreme Court and a brief stint as the junior parliamentary affairs minister at the Centre will come in handy as he presides over Rajya Sabha as its chairman.

Dhankhar, who had been associated with the Janata Dal and the Congress, joined the BJP only in 2008 after a hiatus of nearly a decade. He has championed issues related to Other Backward Classes, including the grant of OBC status to the Jat community in Rajasthan.

While his surprise appointment as the West Bengal governor in 2019 brought him back to the political limelight, he did not shy away from the hurly-burly of politics and was caught in frequent run-ins with

...vice presidential election... move seen in political circles as aimed at reaching out to the politically significant Jat community which had participated in huge numbers in the year-long farmers' protests on the borders of the national capital against agriculture reform measures unveiled in June 2020.

Dhankhar, who took to cricket in his school days and also had keen interest in spirituality and meditation, began his political journey with the Janata Dal and won the Lok Sabha elections in 1989, held under the shadow of the Bofors scandal, from Jhunjhunu in Rajasthan. He had a brief stint as the minister of state for parliamentary affairs under Prame Chandra Shekhar.

...sworn Chief Minister... record eighth times... Wednesday after he resigned from the post a day earlier and quit the BJP-led National Democratic Alliance.

RJD leader Tejashwi Yadav took oath as Deputy Chief Minister.

The decision to hold the floor test on August 24 and make a suitable recommendation for convening state assembly was taken at a cabinet meeting attended by Kumar and Yadav on Wednesday. Sources said that expansion of the cabinet is likely to take place on August 16 and RJD will have more ministers than the Janata Dal-United. ANI

...beneficiaries were to be done free of cost by the government. SC had held that distribution of such goods was directly related to directive principles of state policy and that whether incurring expenditure on the same and to what extent was not to be determined by the court but to be decided and de-

**NATIONAL HEALTH SYSTEMS RESOURCE CENTRE**

Technical Support Institution with National Health Mission  
Ministry of Health & Family Welfare, Government of India

National Health Systems Resource Centre (NHSRC), New Delhi is seeking application from eligible candidates for the following position:

• Senior Consultant – Human Resources (HR Manager), NHSRC

The Terms of Reference (TOR) and other details of the position are available on the websites [www.nhsrccindia.org](http://www.nhsrccindia.org), [www.mohfw.gov.in](http://www.mohfw.gov.in) and [www.devnetjobsindia.org](http://www.devnetjobsindia.org). Application must reach by **21 August, 2022** in the prescribed online application format only (as mentioned in the websites).

S/d: Principal Administrative Officer, NHSRC

**THE TIMES OF INDIA GROUP**

**WASTE TENDER**

**Tender of Various Waste Category Items (1st Sep to 31st Dec 2022)**

Sealed tender invited for sale of various categories of high-quality Newsprint & allied paper waste including:

(1) Printed Waste (2) Tear Off-White/Pink (3) Reelend (4) Used Aluminum Plates (5) Rubber Blanket (6) Empty Barrel Iron/Plastic/200 Ltr (7) Empty Plastic 10-100 Ltr Bucket (8) Old Book Magazine (9) Iron/ Wood Scrap (10) Combined Rate for (Press Sweeping, Loose Batton, Side Disc, Office Sweeping, Core Plug Plastic, Trimmed Newsprint (Patt)) (11) Office copies at Delhi NCR offices for following BCCL locations:-

- 7, Bahadur shah Zafar Marg, New Delhi
- 13/2, Site IV, Sahibabad Industrial Area, Ghaziabad (UP)
- 254-257, Industrial area, Phase II, Panchkula (Haryana), Jammu
- Tiwari Ganj, Chihat, Lucknow, Bareilly, Dehradun
- 8-9, Anupam Chamber, Tonk Road, Jaipur or A-34, Center Point, 3rd Floor, (Opp. A.C. Market) Prabh Marg, Rajapark, Jaipur - 302004
- Navbharat Press Building, M P Nagar, Zone-1, Bhopal, Indore, Gwalior
- Plot No. 7 & 8, Sector 11, IMT Manesar, Haryana

Tender Quantity, Security Amount & other details mentioned in prescribed Tender Form, which can be obtained Free of Cost from below mentioned offices. The tender Form for (Chandigarh, Jaipur, Lucknow, Delhi, Bhopal, Indore, Jabalpur, Raipur, Gwalior, Dehradun, Jammu & Manesar can also be submitted at Sahibabad location: 13/2, Site IV, Sahibabad Industrial Area, Ghaziabad, (UP).

**Note:**

**Material inspection & sealed tender submission:** From 13th Aug'22 to 20th Aug'22 during office hrs. (10.00 to 17.00 hrs)

**Luction Date:** - 29th August 2022

**Contact Person:** For General query & assistance

Name	Location	Mobile No	Office No
Mr. Rajeev Kumar	Sahibabad/Delhi	9555129968	0120-3376010
Mr. Manoj Mangal	Manesar	8283830142	8283830142
Mr. Darshanial Sharma	Lucknow/Bareilly	8795881177	0522-6662818
Mr. Mahaveer Rajput	Chandigarh, Jammu	9950019530	09461130992
Mr. Darshanial Sharma	Dehradun	8795881177	0522-6662818
Mr. Mahaveer Rajput	Jaipur	9950019530	09461130992
Mr. Dinesh Mehra	Bhopal/Gwalior	9999754812	0720-3376014
Mr. Darshanial Sharma	Indore	8795881177	0522-6662818

**राजस्थान सरकार**

**वन विभाग**

क्रमांक: प. 1 (73) वन/2022  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)  
राजस्थान, जयपुर।  
जयपुर, दिनांक-21 JUL 2022

**विषय : Diversion of 0.52 ha. of forest land in favour of Public Works Department Jhalawar for Construction of Sawantkhera to Kadagapura road. (FP/RJ/ROAD/38372/2019)**

संदर्भ:- आष्वयुज्य पत्रांक एक 14 (PWD)2019/आलायक रोड/एनसीए/मयपुर/2163 दिनांक 23.06.2022 महोदय,

उपरोक्त विषयवर्तित संदर्भित प्रस्ताव में सर्वोच्च निगम विभाग, जालावाड़ द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सम्बन्ध स्वीकृति के तहत धारा-2 के अन्तर्गत सामन्तरोड से खडगपुरा सड़क निर्माण हेतु 0.52 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति मांगी गई है। नोटल अधिकायक वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपलान प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष में Diversion of 0.52 ha. of forest land in favour of Public Works Department Jhalawar for Construction of Sawantkhera to Kadagapura road की सैद्धांतिक स्वीकृति बिना किसी युक्त के पालन सहित निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करती है:-

- वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा
- प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
- याचक विभाग द्वारा परिप्रेक्ष्य के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्थिति एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जायेंगे।
- प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की विना पूर्वमंजुरी के नहीं काटा जाये। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिरक्षक होने पर, वन विभाग के होंगे।
- प्रयोजक अधिकरण द्वारा प्रस्तावित स्वयं/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरी/स्ट्याक के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
- प्रयोजक अधिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्वयं पर कार्यलत मजदूरी/स्ट्याक को रोजेई मैस/केरोसिन तेल आगुलियों की जायेगी, जलिक निवृत्तवर्ती वनों को क्षति न हो।
- प्रयोजक अधिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या बचने का कार्य नहीं किया जायेगा।
- प्रयोजक अधिकरण, सैद्धांतिक स्वीकृति की पालना के साथ एक.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरोधान ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
- प्रयोजक अधिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
- प्रयोजक अधिकरण के समय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पालन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पालन होने पर पालन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोजक अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए प्रति सेक्वेन्ट OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सूचित ई-पालन द्वारा जमा की जायेगी।
- प्रयोजक अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई. ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एक.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निर्धारित प्रतिपूर्ति वैधानिक विधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निष्काय के सेक्वेन्ट OSMFWP द्वारा सूचित ई-पालन द्वारा जमा कराया जायेगी। जिसके उपरोक्त ई-पालन की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक पालन/यूटीआर संख्या/एन/एफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का गद्वार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरोक्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
- प्रयोजक अधिकरण इस आशा का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो वही हुई धन राशि प्रयोजक अधिकरण द्वारा निषयानुसार जमा की जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा दी गई अनुपूर्ति का प्रयोजन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहेगा।
- भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एनसीए दिनांक 24.07.2013 से माननीय वैन टिड्युलन्स द्वारा दिनांक 07.11.2012 की धारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को पुरान एनेली रि-न्यू एवं अंतिम में प्रकाशित होने वाले एक-एक समयावधि पर में अक्षरता प्रकाशित कराने एवं जारी स्वीकृति की प्रति एवं स्थानीय निष्काय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध करान सुनिश्चित करे।

पर्वतीय, हस्ता/- (वेकेंटेश शर्मा), रहमान रसिय

dlpr/cr/10337/2022

**GOVERNMENT OF PUNJAB**  
**DEPARTMENT OF POWER**  
(Energy Branch)

**ADVERTISEMENT FOR THE POST OF (TECHNICAL) IN PUNJAB STATE TRADING CORPORATION LIMITED**

For details, login to [www.pspcl.in](http://www.pspcl.in), [www.pstcl.org](http://www.pstcl.org) and [www.psccl.com](http://www.psccl.com)  
date for receipt of applications is 12.09.2022  
DPR/Pb.: 78/1248/1202/116270

**TIMES ASCO**  
Catapult your career

गार्डेन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स  
Garden Reach Shipbuilders & Engineers  
Regd and Corp Office: (GSE) Building, E. Garden Reach Road, (West Beach) 4th Floor, (A. Govt. of India Under the Ministry of Defence  
Web: [www.grse.in](http://www.grse.in)

**ADMISSION NOTICE: Trainee Marine Engineer**  
Last date of receipt of application: 04.09.2022

Applications are invited for one year Marine Engineering Course (TME/GME) for session September - 2022 under IV, Part 'A' scheme.

**Qualification:** Degree in Mechanical Engineering / Marine Engineering (non DGS approved)/ Mechanical Engineering from AICTE/UGC approved engineering college with minimum 50% marks in final year of engineering.

For more information regarding eligibility, fee & application please visit our website [www.grse.in](http://www.grse.in)

In pursuit of Excellence and Quality in Service  
Visit us at [www.grse.in](http://www.grse.in)

**ACA CRICKET ACADEMY**

Regt. No. RS/KAM(M)-01/263/184 of 2022-2023 under Societies Act, 1860  
Office- ACA Stadium, Barsapara, Guwahati

**Employment**

ACA Cricket Academy intends to recruit the following persons on permanent basis and for which applications are invited from deserving and qualified candidates as follows:-

- 1) Batting Coach- 01
- 2) Bowling Coach (Fast/ Medium Fast)- 01
- 3) Bowling Spinner- 01
- 4) Fielding & Wicket- Keeping Coach- 01
- 5) Physical Training & Conditioning Coach- 01
- 6) Dietician (on contractual basis) - 01

Professionally qualified candidates are requested to submit applications along with Bio-data through [directorsca2020@gmail.com](mailto:directorsca2020@gmail.com) and [www.assamcricket.com](http://www.assamcricket.com)

Salary and other perks are negotiable. Selected candidates must be ready to work in Guwahati & any other place in Assam.

Last date of submission of application is 11.09.2022 (05:00 PM).

ACA Cricket.

The times of india  
12-8-2022

शुभ योग है।

कर शुभकार्यार्म्भ के लिए मांग प्रशस्त करता है।

वाणजादिक करण क्रमशः है।

### शुभ मुहूर्त

आज सगाई रोका व कूपारम्भ पूर्वाषाढा व उत्तराषाढा नक्षत्र में, विवाह, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, नामकरण व अन्नप्राशन के तेरस में, तथा विपणि-व्यापारारम्भ आदि के उत्तराषाढा नक्षत्र में शुभ मुहूर्त हैं।

### श्रेष्ठ चौघड़िए

आज सूर्योदय से प्रातः 9-16 तक लाभ व अमृत, पूर्वाह्न 10-54 से दोपहर 12-32 तक शुभ तथा अपराह्न 3-49 से सूर्यास्त तक चर व लाभ के श्रेष्ठ चौघड़िए हैं, जो आवश्यक शुभकार्यार्म्भ के लिए अत्युत्तम हैं। बुधवार को अभिजित नामक मुहूर्त शुभकार्यों में वर्जित माना जाता है।

**व्रतोत्सव** आज आखेटक त्रयोदशी व शिव पवित्रारोपण (उड़ीसा में) आदि व्रतोत्सव हैं।

**चन्द्रमा:** चन्द्रमा दोपहर बाद 2-58 तक धनु राशि में, तदनन्तर मकर राशि में प्रवेश करेगा।

**ग्रहराशि-नक्षत्र परिवर्तन:** रात्रि 9-11 पर मंगल वृष राशि में दखिल होगा।

**दिशाशूल:** बुधवार को उत्तर दिशा की यात्रा में दिशाशूल रहता है। चन्द्र स्थिति के अनुसार आज पूर्व व दक्षिण दिशा की यात्रा लाभदायक व शुभ प्रद है।

**राहुकाल (मध्यममान से):** दोपहर 12-00 बजे से दोपहर 1-30 बजे तक राहुकाल वेला में शुभकार्यार्म्भ यथासंभव वर्जित रखना हितकर है।

### आज जन्म लेने वाले बच्चे

आज जन्म लेने वाले बच्चों के नाम (दा, भे, भो, ज, जी) आदि अक्षरों पर रखे जा सकते हैं। दोपहर बाद 2-58 तक जन्मे जातकों की जन्म राशि धनु व इसके बाद जन्मे जातकों की जन्म राशि मकर है। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति व मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं। इनका जन्म ताम्रपाद से है। जो शुभ फलप्रद है। सामान्यतः ये जातक बुद्धिमान, परोपकारी, सर्वोपय, सभी कार्यों में होशियार, चतुर, साहसी, विनम्र, शांत और माननीय होते हैं। इनका भाग्योदय 28वें वर्ष में प्रायः नेता है। धनु राशि वाले जातकों को शनि की साढ़ेसाती और राशि स्वामी के वक्रों ने से मानसिक तनाव, पारिवारिक क्लेश व अशान्ति रह सकती है।

### गंगा अवंती बाई की जयंती मनाने पर की चर्चा



**ड. @ पत्रिका.** लोधा समाज की बैठक जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश अध्यक्षता में लोधा समाज छात्रावास में मंगलवार को आयोजित जिसमें 16 अगस्त को 1857 की अमर शहीद वीरांगना अवंती बाई मनाने पर चर्चा की गई जिसमें जिला स्तर पर जयंती मनाने की भंवर लाल ठाकुर प्रदेश प्रवक्ता नवल लोधा, भैरूलाल, शंभू ज लोधा छात्र संघ जिलाध्यक्ष को दी गई। वहीं बकानी ब्लॉक री सीताराम युवा मोर्चा ब्लॉक अध्यक्ष बकानी राय सिंह सरपंच थाना व चंदीपुर की प्रदेश अध्यक्ष रामकिशन लोधा व स्थानीय गई जिला स्तर के कार्यक्रम में पौधरोपण व संरक्षण तथा हर लगाने के अभियान में भी भागीदारी निभाने का निर्णय में रतन लाल प्रिसिपल, मोहन फौजी, रामप्रसाद बोहरा, नानुराम राज अध्यापक, राजू पिपलिया, राम लोधा, देवीलाल कंपांडर मचंद्र अध्यापक, देवीलाल ब्रह्मपुरा, करण सिंह, महेंद्र, धर्म मेश्वर अध्यापक आदि मौजूद रहे।

उपाध्यक्ष कैलाश सेन, जिला सह मंत्री तहसील प्रभारी रामलाल दांगी, जिला प्रचार प्रमुख महेश मेहर, जिला गौ सेवा प्रमुख रामप्रसाद दांगी, तहसील उपाध्यक्ष रामबिलास पाटीदार, पिड़ावा तहसील अध्यक्ष रमेश चौधरी, जिला युवा प्रमुख रामनारायण दांगी, पंचपहाड़ तहसील अध्यक्ष कालूलाल दांगी, पीरुसिंह पंवार, झालारापाटन तहसील अध्यक्ष जयनारायण पाटीदार, जगदीश प्रसाद शर्मा, रामचंद्र पाटीदार, रामलाल गुरजर, सत्यानारायण गुप्ता, बृजेश पाटीदार, बलवीर नागर, तहसील मंत्री पीरूलाल चौधरी, लालचंद दांगी और शिवसिंह सोनगरा ने विचार रखे। संचालन तहसील मंत्री पीरूलाल चौधरी ने किया।

भारत

### राजस्थान सरकार वन विभाग

जयपुर दिनांक 21 जुलाई, 2022

क्रमांक: प. 1 (73) वन/2022  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF)

राजस्थान, जयपुर

विषय: Diversion of 0.52 ha. of forest land in favour of Public Works Department Jhalawar for Construction of Sawantkhera to Kadagpura Road (F.P.R./ROAD/38372/2019)

संदर्भ: अपका पत्रांक एफ 14 (PWD)2019/ झालावाड़ रोड/ एफसीए/ प्रमुखस/2163 दिनांक: 23.06.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में सार्वजनिक निर्माण विभाग, झालावाड़ ड्राग वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धार-2 के अन्तर्गत समतलखेडा से खडगपुर सड़क निर्माण हेतु 0.52 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नेडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर वन संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। सामान्य दिशा- निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.52 ha. of forest land in favour of public Works Department Jhalawar for Construction of Sawantkhera to Kadagpura road की सैद्धांतिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अधधीन प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्थितियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परियोजना होने पर, वन विभाग के होंगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों / स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/ स्टाफ को रसोई नैस/ केरोमिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/ पूर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/ पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धांतिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शुन्य से 10 वृक्षों का पतन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पतन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सुचित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।
11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 2021/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/ 2010- CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए अदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निधारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सुचित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरंत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/ यूटीआर संख्या/ एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि मय मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
12. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि सधम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
13. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबंधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
14. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय श्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक- एक सप्ताहवार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराने सुनिश्चित करें।

कार्यालय का पता: वन विभाग कार्यालय, कमरा नम्बर 8324, उवरी पश्चिमी भवन, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर दूरभाष संख्या: 0141-2227762

भवदीय

Mail ID ads\_forest@rajasthan.gov.in

DIPR/C/10337/2022 (बंकेटेश शर्मा), शासन सचिव

NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त  
D.El.Ed. [BSTC]/Bed  
में स्वीय प्रवेश  
स्वामी विवेकानन्द  
कॉलेज  
शिवपुरी ( म.प्र.) कोड 16201  
Bed कोड-814  
महर्षि महाविद्यालय  
शाजापुर ( म.प्र.) कोड 45201  
9425136522  
9893448886

अक्टूबर-22 में ऑपन कर साल बरगार  
NIOS: 10<sup>th</sup>/12<sup>th</sup>  
ADMISSIONS OPEN  
Affiliated to  
CBSE/RBSE/NIOS  
CHILDREN  
Sr. Sec. School  
Classes: IKG to XII  
Medium: English & Hindi

Dadabari Chhawani  
Near Police Station, Bangali Colony  
9460558906 | 9414941465

नये वैद्यक 16 अगस्त से  
प्रातः एवं सायंकालीन

II<sup>nd</sup> Grade  
शिक्षक  
सामान्य ज्ञान

III<sup>rd</sup> Grade  
शिक्षक  
REET - मुख्य परीक्षा  
Level - I & II

CET-समान पात्रता परीक्षा

LDC-हार्डकोर्ड भर्ती परीक्षा

उमेश सुमन द्वारा संचालित  
साकार क्लासेज  
केरावपुरा वैद्य रोड तलचण्डी, कोटा  
Mob.: 94608-15024



नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम मनप्रीत सिंह सिद्ध था जो बदलकर मनप्रीत सिंह कर लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे। मनप्रीत सिंह, निवासी किल्लोरी चान्हल, जिला-मोगा, पंजाब

मैंने अपना नाम सुशील रिजवानी से बदलकर रेनु रिजवानी (दस्तावेज के अनुसार) रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे। पता: C-65, तलवण्डी, कोटा

राजस्थान पत्रिका 10/8/2022

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिनियमों की मांगवा) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के तहत सरकार द्वारा प्रस्तावित सुविधाओं हेतु वन भूमि को गैर-वन उद्देश्यों हेतु नियंत्रण के लिए पूर्ण अनुमोदन प्राप्त करने हेतु पप.3।

प्रस्ताव का  
(धारा 2.2 (1) देखें)  
(यूजर एजेंसी द्वारा भरा जाएगा)

1. परियोजना विवरण :

(1) Construction of Sawantkhera  
to khadagpura road

Construction of Sawantkhera  
to khadagpura road को जोड़ने हेतु इससे कम  
दूरी अन्य कोई रास्ता नहीं है।

(2) वांछित वन भूमि का विवरण (2 विकल्पों का उल्लेख करें)

- |    |  |                  |
|----|--|------------------|
| क. | स्थान सर्वे संख्या / कम्पार्टमेंट संख्या   | - 398 (खड़गपुरा) |
| ख. | क्षेत्र का विस्तार (हेक्टेयर में)  | - 0.52           |
| ग. | वन मण्डल   | - झालावाड़       |
| घ. | 1:50,000 के स्केल मैप पर निकटवर्ती वन की सीमा तथा वांछित वन भूमि को नक्शे पर दिखाएँ। |                  |

2 प्रस्तावित भवन/गतिविधि क्षेत्र मैप के साथ वांछित कुल वन भूमि का उद्देश्यवार अलग-अलग विवरण।

3. प्रस्तावित वन भूमि के अनारक्षण के अन्तर्गत प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसमें अनुरक्षण या दण्ड प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत जो कि नियमानुसार होगी, निर्धारित की जावेगी, उसे सार्वजनिक निर्माण विभाग देने को तैयार होंगे।

4. ग्राम समा की संस्तुति-स्वीकृत/अस्वीकृत

तिथि 28/07/2022

स्थान झालावाड़

यूजर एजेंसी हेतु प्राधिकार प्राप्त  
(बड़े अक्षरों में नाम) सा.नि.विभाग खण्ड प्रभुवाकर  
झालावाड़ (राज.) राज. नं. 3/गार कोता

पता सा. नि. वि. खण्ड झालावाड़

मिना सनिवालय कोटा रोड

प्रस्ताव की क्रम संख्या FP/RJ/ROAD/39372/2019

(रेंज वन अधिकारी द्वारा प्राप्ति तिथि के साथ भरा जाएगा)

वनाधिकार समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम में सेवक शरखेडी  
पं.स.पिड़वाडा मु. मण्डल (झालावाड़)

हस्ताक्षर  
28/07/2022  
वन अधिकारी हल्का  
मु. मण्डल  
पिड़वाडा

हस्ताक्षर  
हस्ताक्षर  
... कम्पला. पिड़वा...

आज दिनांक 24/4/2022 को ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें वन क्षेत्र में आने वाली भूमि में Construction of Sawantkhera to khadagpura road जो वन विभाग से गुजर रही है, वर्तमान में बन्द है उसके निर्माण हेतु ग्राम सभा में वन भूमि में 0.52 हेक्टर हेतु प्रस्ताव लिया गया तथा सर्व सम्मति से सड़क के निर्माण की अति आवश्यकता बताई गई एवं किसी भी सदस्य को वन क्षेत्र में सड़क बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा के रजिस्टर में क्रमांक 73 पर इन्द्राज हैं तथा ग्राम सभा में 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों द्वारा उपस्थिति दर्ज कराई गई।

सरपंच, विधानसभा  
ग्राम सभा, खडगपुरा  
पं.स.पिडावा मु.सुनेल

सचिव, ग्राम पंचायत  
ग्राम सभा, खडगपुरा  
पं.स.पिडावा मु.सुनेल (झालावाड़)

Annexure- I

आज दिनांक 29-7-2022 को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आहूत की गई जिसमें ग्राम स्तरीय वनाधिकार कमेटी से वन क्षेत्र में पड़ने वाली सड़क Construction of Sawantkhera to khadagpura road के लिए प्राप्त प्रस्ताव संख्या 73 जिसका ग्राम स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है, उसको उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अनुमोदित कर जिला स्तरीय कमेटी हेतु प्रेषित करने का अनुमोदन किया जाता है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासि (वन अधिकारियों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) के एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर कोई दावे लम्बित नहीं है। अतः सर्वसम्मति से उक्त सड़क को उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशंका की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज०)  
उपखण्ड

वन अधिकारी  
पिडावा (झालावाड़)

विकास अधिकारी  
पं.स. पिडावा, मु.सु.नेल  
जिला प.स. झालावाड़ (राज.)